बारां, तह. बारां, जिला बारां — जिला बारां (राज0)

(राज0) वगैरह।

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. — प्रकरण संख्या 10/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2024	प्रार्थीया स्वंय ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगंज में विचाराधीन प्रकरण बउनवान रामस्वरूप बनाम उषा वगैरह वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तथा बी एन एस एस 164 प्रकरण बउनवान रामस्वरूप बनाम उषा वगैरह को जिले के अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. के तहत पेश की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीया को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरणों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रार्थना पत्र के साथ ही उपखण्ड अधिकारी किशनगंज श्री मनमोहन शर्मा ने भी उक्त प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी पर मिथ्यारोप लगाने व अंतिम निर्णय होने पर अनावश्यक दोषारोपण को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश प्रदान करें। हमने प्रार्थीया एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के कथन पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में विचाराधीन प्रकरणों को प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने एवं स्वंय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने भी अनावश्यक दोषारोपण के आरोप प्रार्थीया एवं अन्य पक्षकारों द्वारा उन पर लगाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने किये जाने की इस्तदुआ की है। परिणामस्वरूप उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में विचाराधीन प्रकरण बउनवान रामस्वरूप बनाम उषा वगैरह वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तथा बी एन एस एस 164 प्रकरण बउनवान रामस्वरूप बनाम उषा वगैरह सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू को अन्तरित किया जाता है। पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में वास्ते सुनवाई दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित हों। उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज/अटरू को आदेशिका की प्रमाणित प्रति सहित पृथक से अहकाम जारी हो तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को उक्त पत्रावली ... तिथि 29.11.2024 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू को ... लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर ... से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar Date: 2024.12.02 10:17:14 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर बारां (राज०)	